सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –भागीरथराम आर.ए.एस.)

वाद संख्याः–40/2015 दर्ज तिथिः–31.07.2006

1. डालूराम पुत्र केसराराम
2. मूलाराम पुत्र रूपाराम
3. देवाराम पुत्र रूपाराम
4. उदाराम पुत्र रूपाराम
5. धापू पत्नी रूपाराम
6. पेम्पों पत्नी मूलाराम
7. किशनी पत्नी देवाराम
8. जमना पत्नी उदाराम

जाति प्रजापत निवासी लूखू तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

..................वादी

बनाम

1. पालू पत्नी केसराराम
2. हरखू पत्नी पांचाराम

जाति जाट निवासी लूखू तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

..................असल प्रतिवादीगण

3. तहसीलदार धोरीमन्ना

..................तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीगणः–श्री बाबूलाल विश्नोई
प्रतिवादीः– श्री बलवन्तसिंह चौधरी
राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–53,188
राजस्थान काश्त0 अधिनियम–1955

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–24.06.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा–53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 का बाबत तकासमा एवं [illegible] निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त [illegible] प्र[illegible] से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा–53,188 राजस्थान काश्त[illegible] अधिनियम–1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी हाल खसरा संख्या 404/0.647 हे0, 405/[illegible] हे0, वाके ग्राम लूखू पटवार हल्का लूखू तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित [illegible] आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा प्रतिवादीगणका हिस्सामुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:06:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादी की उक्त हिस्सा आराजी के कृषि काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादीगण को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद पत्रदर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 को सम्मन विधिवत तामिली के बावजूद अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गइ। प्रतिवादी संख्या 2 हाजा न्यायालय में असालतन–वकालतन उपस्थित हुए। प्रतिवादी संख्या 2 के अधिवक्ता द्वारा जवाबदावा मय प्रतिदावा पेश कर माफिक हक हिस्सा भूमि की गुणवत्ता एवं आवागमन की सुविधा एवं वर्तमान कब्जा काश्त व वहमी बंटवारा को ध्यान में रखते हुए बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किये जाने का कथन किया। प्रकरण में प्रतिवादी का जवाब प्रस्तुत किये जाने के बाद पत्रावली वादी साक्ष्या हेतु नियत हुई लेकिन वादीगण को साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर वादी साक्ष्य बन्द कर पत्रावली प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत हुई जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किये । तत्पश्चात पत्रावली बहस हेतु नियत होने तथा उभय पक्षकारान वकुलाय द्वारा सहमति दिये जाने पर दिनांक 07.01.2025 को प्रारम्भिक निर्णय व पर्चा डिक्री जारी किया गया। जिस पर भू–धारक तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/2025/949 दिनांक 17.04.2025 द्वारा विभाजन प्रस्ताव/कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्तुत किया। अभिभाषकगण उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक उभयपक्षकारान द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा अपने भू.अ./2025/949 दिनांक 17.04.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम–1955 के नियम–18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार हैः–

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields. *- The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.*	प्रकरण में दिनांक 24.3.2025 को तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा मय पटवारी/गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई। Signature Not Verified Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi Date: 2025.09.29 14:06:33 IST Reason: SelfAttested
प्रकरण में पक्षकारो को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया	1. वादी एवं समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील धोरीमन्ना के नोटिस क्रमांक 851–860 दिनांक 27.02.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 24.03.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया गया जाकर तामिल करवाये गए।

सहायक कलेक्टर
SDO धोरीमना

जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।	समस्त पक्षकार मौके पर उपस्थित रहे। उभयपक्षकारान की उपस्थिति में मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।

3. प्रकरण में वादीगण द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई। सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2072–2075 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 404/0.0647 है0, 405/19.5544 है, वाके ग्राम दूधू पटवार हल्का दूधू तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है। अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन–प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा– ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

4. प्रकरण में वादी द्वारातकसीम आराजी के साथ–साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। स्थाई निषेधाज्ञा में तीन महत्वपूर्ण बिन्दु है जो इस प्रकार हैः–

प्रथम– स्वामित्व एवं कब्जाः– प्रकरण के बाद तकसीम पृथक–पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह– काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

द्वितीय– सुविधा का सन्तुलनः– प्रकरण में बाद तकसीम पृथक–पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। जब खातेदार एकल खातेदार हैं एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

तृतीय– अपूरणीय क्षतिः– प्रकरण में बाद तकसीम पृथक–पृथक खातें का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद–रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:06:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

डालू बनाम पालू
2006/00010
निर्णय दिनांकः—24.06.2025

5. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक—पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादीगण एवं प्रतिदावा प्रतिवादीगण संख्या 2 अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 404/0.0647 है0, 405/19.5544 है, वाके ग्राम दूधू पटवार हल्का दूधू तहसील धोरीमन्ना तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा—ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग—अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार धोरीमन्ना को दिये जाते हैं।

खातेदार	हिस्सा	खसरा	रकबा	किस्म	लगान	बरंग
उदा पुत्र रूपा डालू पुत्र केसरा देवा पुत्र रूपा मूला पुत्र रूपा धापू पत्नी रूपा कौम कुम्हार निवासी लूखू सा.देह.खातेदार रहन बदस्तूर जमाबंदी	1/9 1/7 2/7 2/7 1/7	405	19.5544	बा.दो.	7.24	हरा
हरखू पत्नी पांचाराम कौम जाट सा.देह खातेदार निवासी लूखू	पूर्ण	405	10.9831	बा.दो.	4.08	पीला
		404	0.0647	गै.मु. ढाणी	—	
		2	11.0478	—	4.08	

उक्तानुसार पक्षकारान अपने—अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक—पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अंग [illegible] इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार धोरीमन्ना [illegible]नार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना—अपना [illegible]।

यह निर्णय आज दिनांक 24.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

24/6/2025

(भागीरथराम आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
धोरीमन्ना बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:06:33 IST
Reason: Self Attested

डालू बनाम पालू
2006/00010
निर्णय दिनांकः–24.06.2025

सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना–बाड़मेर
(पीठासीन अधिकारी –भागीरथराम आर.ए.एस.)

वाद संख्याः–40/2015

दर्ज तिथिः–31.07.2006

1. डालूराम पुत्र केसराराम
2. मूलाराम पुत्र रूपाराम
3. देवाराम पुत्र रूपाराम
4. उदाराम पुत्र रूपाराम
5. धापू पत्नी रूपाराम
6. पेम्पों पत्नी मूलाराम
7. किशनी पत्नी देवाराम
8. जमना पत्नी उदाराम

जाति प्रजापत निवासी लूखू तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

..................वादी

बनाम

1. पालू पत्नी केसराराम
2. हरखू पत्नी पांचाराम

जाति जाट निवासी लूखू तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

..................असल प्रतिवादीगण

3. तहसीलदार धोरीमन्ना

..................तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीगणः–श्री बाबूलाल विश्नोई
प्रतिवादीः– श्री बलवन्तसिंह चौधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–53,188
राजस्थान काश्त0 अधिनियम–1955

–:पर्चा डिक्रीः–

दावा वादीगण एवं प्रतिवादीगण [illegible] अन्तर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनि[illegible] बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जा[illegible] आराजी खसरा संख्या 404/0.0647 है0 405/19.5[illegible] है वाके ग्राम दूधू पटवार हल्का दूधू तहसील धोरीमन्ना तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा–[illegible] नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग–अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार धोरीमन्ना को दिये जाते हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:06:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

खातेदार	हिस्सा	खसरा	रकबा	किस्म	लगान	वरंग
उदा पुत्र रूपा डालू पुत्र केसरा देवा पुत्र रूपा मूला पुत्र रूपा धापू पत्नी रूपा कौम कुम्हार निवासी लूंखू सा.देह.खातेदार रहन बदस्तूर जमाबंदी	1/9 1/7 2/7 2/7 1/7	405	19.5544	बा.दो.	7.24	हरा
हरखू पत्नी पांचाराम कौम जाट सा.देह खातेदार निवासी लूखू	पूर्ण	405 404	10.9831 0.0647	बा.दो. गै.मु. ढाणी	4.08 —	पीला
		2	11.0478	—	4.08	

उक्तानुसार पक्षकारान अपने—अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक—पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले। नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना—अपना वहन करेगें।

यह डिक्री आज दिनांक 24.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

24/6/2025

(भागीरथराम आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर
धोरीमन्ना—बाड़मेर

सहायक कलेक्टर
SDO धोरीमन्ना

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:06:33 IST
Reason: SelfAttested